



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2018/पौष 18, 1939

No. 83]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2018/PAUSHA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2018

**7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018, अधिसूचना सं. का.आ. सं. 44(अ) में संशोधन**

का.आ. 101(अ).—भारत सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है इस अधिसूचना की तारीख से दिनांक 03 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 44(अ) द्वारा अधिसूचित 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018 में विनिर्दिष्ट शर्तों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

2. मूल अधिसूचना के खंड क्रमशः 4, 9 (i), 9 (iii) और 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:
4. कर उपाय: इन बांडों पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देय होगा जो बांड धारकों की संगत कर प्रास्थिति के अनुसार प्रयोज्य होगा।

**9. आवेदन:**

9 (i) इन बांडों के लिए आवेदन या तो वास्तविक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध-2 के रूप में संलग्न संशोधित फार्म-क में अथवा उसके समान किसी अन्य फार्म में किया जा सकता है जिसमें राशि और आवेदक/कों का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

9 (iii) ऐसे आवेदक जिन्होंने आय कर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों के तहत आय कर में छूट प्राप्त कर ली है, वे आवेदन में इसकी घोषणा (संशोधित फार्म क में) करेंगे और आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्र की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।







आईएफएससी कोड																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(कृपया कोड संख्या को प्रमाणित करने के लिए बैंक द्वारा आपको जारी किए गए बैंक अथवा निरस्त बैंक की प्रतिलिपि संलग्न करें)

3. खाते का प्रकार [ ] बचत बैंक खाता [ ] चालू खाता

खाता संख्या																				
लेजर खाता																				
लेजर फोलियो संख्या																				

मैं एतद्वारा .....(बैंक का नाम) को एनईसीएस/एनईएफटी के जरिए अपने ब्याज/मोचन की राशि जमा करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी दिए जाने के कारण लेनदेन में विलंब हो जाता है, मैं उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं एतद द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत भागीदार के रूप में मेरी ओर से प्रत्याशित दायित्व का निर्वहन करने की सहमति देता हूँ।

स्थान.....तारीख.....(आवेदक के हस्ताक्षर).....

**बैंक प्रमाणन (बैंक प्रस्तुत किए जाने पर बैंक की प्रतिलिपि आवश्यक नहीं है)**

.....  
.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत किए गए विवरण हमारे रिकॉर्डों के अनुसार सही हैं।

(अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर, तारीख, बैंक मुहर)

**हिंदू अविभक्त परिवार घोषणा फार्म**  
(केवल तभी जब आवेदक हिंदू अविभक्त परिवार का कर्ता हो)

मैं,..... पहले आवेदक के सामने दिए गए पते पर रहता हूँ और पूरी निष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ कि मैं हिंदू अविभक्त परिवार का कर्ता हूँ और इस प्रकार मुझे उक्त हिंदू अविभक्त परिवार के नाम पर धारित 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 को बेचने, पृष्ठांकित करने, अंतरण करने अथवा अन्यथा लेन-देन करने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

हिंदू अविभक्त परिवार (हिंदू अविभक्त परिवार का नाम) के लिए और की ओर से नमूना हस्ताक्षर)  
स्थान:

तारीख: हिंदू अविभक्त परिवार की मुहर सहित कर्ता के हस्ताक्षर

**निवेशकों के लिए 7.75% बचत (करयोग्य) बांड, 2018 से संबंधित जानकारी**

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ. 4(28) –डब्ल्यू एंड एम/2017 से संबंधित दिनांक 03 जनवरी, 2018 से 7.75% बचत बांड (कर योग्य), 2018 योजना शुरू की थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

मद	7.75% बचत बांड (कर योग्य), 2018	टिप्पणियां
1. निवेशक की श्रेणी	व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार	अनिवासी भारतीय/ संस्थान एनआर) इन बांडों में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं
2. निवेश की सीमा	न्यूनतम ₹1000 / - और ₹1000 के गुणकों में /-	कोई अधिकतम सीमा नहीं
3. बांडों के निर्गम की तारीख	नकद में प्राप्त करने की तिथि से या चैक/ड्राफ्ट/ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की उगाही की तारीख से	
4. बांडों के प्रकार	बॉन्ड लेजर अकाउंट में आयोजित डीमैट फॉर्म	बॉन्ड लेजर खाता निवेशक/कों के नाम पर प्राप्तिकार्यालय द्वारा खोला जाएगा।
5. विकल्प	गैर संचयी / संचयी	विकल्प में परिवर्तन की अनुमति नहीं है
6. ब्याज	गैर संचयी विकल्प के-मामले में, ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर देय है। संचयी विकल्प के मामले में, ब्याज परिपक्वता के समय देय है	अर्द्धवार्षिक ब्याज 1 फरवरी/ 1 अगस्त को देय है
7. पश्च परिपक्वता अवधि ब्याज	पोस्ट मैच्युरिटी ब्याज देय नहीं है	
8. बैंक खाता	निवेशकों/बैंकों को उनके बैंक खाते में सीधे ब्याज/परिपक्वता मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए बैंक/बैंक खाते का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।	
9. कर लाभ	बांड से आय कर योग्य है	ब्याज का भुगतान किए जाने पर कर स्रोत पर कटौती की जाएगी।
10. नामांकन सुविधा	एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारक नामांकित व्यक्ति के रूप में एक या एक से अधिक व्यक्ति नामित कर सकते हैं।	
11. परिपक्वता अवधि	7 साल बाद	

12. समय पूर्व मोचन	पात्रता निवेशकों के लिए 4, 5, और 6 वर्ष के लॉक अवधि के बाद क्रमशः 80 वर्ष और उससे अधिक के बीच, 70 से 80 वर्ष और 60 से 70 वर्ष के बीच उपलब्ध है।	
13. हस्तांतरणीयता	बांड गौण बाजार में व्यापार योग्य नहीं हैं।	
14. आवेदन पत्र	एसबीआई, 18 राष्ट्रीयकृत बैंक, 3 निजी क्षेत्र के बैंक और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की विनिर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध है।	

### निवेशक/आवेदकों के लिए अनुदेश

- (क) आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए।
- (ख) आवेदन अधूरे होने पर बांडों के जारी होने में विलंब हो सकता है (जोकि आवेदक के हित में नहीं है)।
- (ग) यदि मुख्तारनामा धारक आवेदन पत्र जमा करता है तो मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (घ) यदि आवेदन नाबालिग की ओर से किया जाता है तो कृपया विद्यालय या नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति जमा करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (ङ) कृपया ध्यान दें कि बचत बांड के लिए नामांकन सुविधा एक मात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों के लिए उपलब्ध (निवेशकों)
- (च) यदि नामिती नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख करें और उसके लिए अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।
- (छ) यदि निवेश नाबालिग की ओर से किया जाए तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- (ज) संचयी/गैर-संचयी बांडों के निर्गम के लिए कृपया अलग-अलग (विभिन्न रंगों के) फार्म भरें।
- (झ) किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन को प्राप्ति कार्यालय में तत्काल सूचित करें।
- (ञ) इन बांडों पर परिपक्वोत्तर ब्याज देय नहीं हैं। इसलिए नियत तारीख पर मोचन से प्राप्त होने वाली आय प्राप्त करें।
- (ट) अपनी जन्मतिथि/ आयु का उल्लेख करें।
- (ठ) इलेक्ट्रॉनिक रीति से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता का विवरण दें।
- (ड) कर देय संबंधी कोई भी सूचना बैंक/शाखा को उपलब्ध करायी जाए।

### निवेशक के अधिकार

- (क) यदि अंशदान नकदी में प्राप्त होता है तब बांड उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे और यदि अंशदान चैक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के जरिए प्राप्त होता है तब चैक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की उगाही के बाद बांड जारी किए जाएंगे।
- (ख) होल्डिंग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र की तारीख से 5 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

- (ग) बांड पर ब्याज अंशदानकी राशि नकद में प्राप्त होने की तिथि से या चैक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की प्राप्ति की उगाही की तारीख से अर्जित होती है। ब्याज सीधे उस व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में धारक के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
- (घ) ब्याज मोचन की तारीख से अंतिम किश्त सहित 1 फरवरी/1 अगस्त को देय होगा।
- (ङ) ब्याज के भुगतान संबंधी सूचना निवेशक को देय तिथि से एक महीने पहले जारी की जाएगी।
- (च) बांड की नियत तारीख से एक महीने पहले परिपक्वता सूचना जारी की जाएगी।
- (छ) ब्याज एवं मूलधन के भुगतान की सुविधा ग्राहकों के लिए निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट अथवा देश में सभी जगह मान्य चैक के जरिए उपलब्ध है।
- (ज) इंटर-बैंक और इंटर- बैंक की सुविधा- बांड की बैंक शाखा स्थानांतरण उपलब्ध है।
- (झ) बचत बांड के संबंध में निवेश, मोचन एनईसीएस/एनईएफटी अधिदेश आदि के लिए आवेदन पत्र, वेबसाइट [www.....com](http://www.....com) पर उपलब्ध हैं। (बैंक और एसएचसीआईएल वेबसाइट)
- (ञ) एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारक बांड के अधिकारों के लिए एक या एक से अधिक उम्मीदवार नामांकित कर सकते हैं।
- (ट) नामांकन निर्गम कार्यालय में दर्ज किया जाएगा और पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र धारक को जारी किया जाएगा।
- (ठ) नामांकन को एक नए नामांकन के पंजीकरण से अलग किया जा सकता है।
- (ड) मौजूदा नामांकन को निर्गम कार्यालय के कार्यालय के अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है।
- (ढ) निवेश की तिथि से सात वर्ष की समाप्ति पर मोचन बकाया हो जाता है।
- (ण) कुछ शर्तों के साथ समयपूर्व मोचन सुविधा की अनुमति दी गई है।
- (त) निवेशक परिचित की निविदा की तिथि से पांच स्पष्ट कार्य दिवसों के भीतर अदायगी राशि प्राप्त करने का हकदार है।
- (थ) ब्याज मोचन/आय प्राप्त होने में विलंब से बचने के लिए आवेदक ईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अर्ध-वार्षिक ब्याज/मोचन आय का लाभ उठाने के लिए या बैंक खाते में प्रत्यक्ष ऋण के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।
- (द) निवेशकों को विलंब से भुगतान के लिए मुआवजे की हकदारी आरबीआई द्वारा समयसमय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार निर्धारित दर पर की जाती है।

यदि उपर्युक्त के संबंध में निर्गम बैंक अनुदेशों का अनुपालन नहीं करता है, तब आप बैंक के काउंटर पर उपलब्ध प्रपत्र में लिखित रूप में शिकायत दर्ज करें और निम्नलिखित पते पर भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजे:

**क्षेत्रीय निदेशक,**

**भारतीय रिजर्व बैंक, ग्राहक सेवा विभाग/ बैंकिंग लोकपाल**

**(पता)**

-----  
आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी भेज सकते हैं:

**मुख्य महाप्रबंधक**

**भारतीय रिजर्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग**

**केंद्रीय कार्यालय, एसबीएस मार्ज, फोर्ट**

**मुंबई - 400 001**



अस्वीकरण साथ निवेशकों के-मैंने निवेशकों के लिए जानकारी के साथ- :अधिकारों और कर्तव्यों को भी पढ़ और समझ लिया है। एजेंट मझाया हैबैंक ने मुझे योजना की सुविधाओं को स /

आवेदक/कों के हस्ताक्षर

----- यहाँ से फाड़ें-----

आवेदन पत्र की पावती

आवेदन संख्या

बैंक शाखा.....तारीख...../...../.....।

श्री सुश्री / श्रीमती / से .....प्राप्त ₹.....दिनांक..... बैंक/शाखा .....पर  
आहरित नकद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/चैक नं./पे ऑर्डर/ड्राफ्ट/ .....7 साल  
की अवधि के लिए 7.75 % बचत बांड (कर योग्य), 2018 की खरीद के लिए, संचयी पर देय ब्याज [ ] गैर-संचयी  
के अंकित मूल्य के आधार पर देय है। (₹...../-.....मात्र)

बैंक के अधिकृत अधिकारी की तिथि  
बैंक स्टाम्प और हस्ताक्षर

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 8<sup>th</sup> January, 2018

**Amendment to 7.75% Savings (Taxable) Bonds 2018, Notification No S.O. 44 (E)**

**S.O. 101(E).**—The Government of India hereby notifies, with effect from the date of this Notification, the following amendments in the conditions specified in 7.75% Savings (Taxable) Bonds 2018 notified *vide* Notification No. S.O. 44(E) dated January 03, 2018

2. In place of clauses 4, 9 (i), 9 (iii) and 17 respectively of the original notification the following shall be substituted:

**4. Tax Treatment:** Interest on the Bonds will be taxable under the Income Tax Act, 1961 as applicable according to the relevant tax status of the Bond holders.

**9 Application:**

9 (i) Applications for the Bonds, either in physical form or electronic form, may be made in the **Revised Form A** attached hereto, as Annexure 2, or in any other form as near as thereto stating clearly the amount, name and full address of the applicant/s.







(Date, Bank Stamp &amp; Signature of Authorised Official)

**H.U.F. Declaration Form**

(Mandatory if applicant is Karta of HUF)

I,....., residing at the address given against First Applicant, do solemnly affirm that I am the Karta of the Hindu Undivided Family and as such have full powers to sell, endorse, transfer or otherwise deal in the 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 standing in the name of the HUF.

Specimen signature for and on behalf of the HUF (name of the HUF).....

(Signature of the Karta with seal of HUF)

Place:..... Date .....

**INFORMATION FOR INVESTORS IN 7.75% SAVINGS (TAXABLE) BONDS, 2018**

Government of India had introduced 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 vide their notification No. F.4 (28)-W&M/2017 dated January 03, 2018. The main features of the Scheme are as under:

Item	7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018	Remarks
1) Category of Investor	Individual HUF	Non Resident Indians (NRI)s / institutes are not eligible to invest in these bonds
2) Limit of investment	Minimum ₹.1000/- and in multiples of ₹.1000/-	No maximum limit
3) Date of Issue of bonds	Date of receipt of subscription in cash or date of realization of cheque/draft/ electronic credit	
4) Forms of Bonds	Demat form held in the Bond Ledger Account	Bond Ledger Account will be opened by receiving office in the name of investor/s.
5) Option	Non-cumulative / Cumulative	Change of option is not permitted.
6) Interest	In case of non-cumulative option, interest is payable on half yearly basis. In case of Cumulative option, interest is payable at the time of maturity	Half-yearly interest is payable on 1 <sup>st</sup> February / 1 <sup>st</sup> August
7) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is not payable	
8) Bank account	It is mandatory for the investor/s to provide bank account details to facilitate payment of interest /maturity value directly to his/her/their bank account.	
9) Tax benefits	Income from the bonds is taxable.	Tax will be deducted at source while interest is paid.
10) Nomination Facility	The sole Holder or all the joint holders may nominate one or more persons as nominee.	
11) Maturity period	After 7 years	
12) Premature redemption	Facility is available to the eligible investors after Lock in period of 4, 5, and 6 years in the age bracket of 80 years and above, between 70 to 80 years and 60 to 70 years respectively.	
13) Transferability	The bonds are not tradable in the secondary market.	
14) Application forms	Available at designated branches of SBI,18 Nationalised Banks, 3 Private Sector Banks and Stock Holding Corporation of India Ltd.	

**DUTIES OF INVESTOR/ APPLICANTS**

- A) Please complete the application in all respects
- B) Incomplete applications are liable to result in delay of issue of the bonds (at the cost of the applicant)
- C) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy for record
- D) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy for record
- E) Please note that nomination facility is available to a Sole Holder or all the joint holders (investors) of a Savings bond.
- F) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed
- G) Nomination facility is not available in case the investment is in the name of a minor
- H) Please fill separate application form (different colours) for issue of CUMULATIVE / NON-CUMULATIVE bonds.
- I) Please notify the change of address to receiving office immediately
- J) POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE ON THESE BONDS. HENCE PLEASE OBTAIN REDEMPTION PROCEEDS ON THE DUE DATE
- K) Indicate your date of birth / age.
- L) Provide your bank account details for receiving payment through electronic mode
- M) Any information regarding tax applicability may be provided to the bank/branch

**RIGHTS OF THE INVESTOR**

- a) The Bond will be issued on the same day if subscription is received in cash and on realization of the cheque /DD/electronic credit if subscription is received through cheque/DD/electronic credit.
- b) The Certificate of Holding will be issued within 5 days from the date of tender of application.
- c) The interest on the bond accrues from the date of receipt of subscription in cash or date of realization of cheque/DD/electronic credit. The interest will be credited to the bank account of the holder directly provided by him/her in the application form.
- d) The interest on the date of 1<sup>st</sup> February / 1<sup>st</sup> August with last instalment on date of redemption
- e) An advice of payment of interest will be issued to the investor one month in advance from the due date.
- f) Maturity intimation advice will be issued one month before the due date of the bond.
- g) Facility for payment of interest and principal by 'demand draft free of cost or at par cheques' for up country customers is available.
- h) The facility of intra-bank and inter-bank branch transfer of the bonds is available.
- i) Application forms for investments, redemption, NECS/NEFT Mandate, etc., in respect of Savings Bonds are available on the website at [www.....com](http://www.....com) (Banks and SHCIL website).
- j) A sole holder or all the joint holders may nominate one or more nominees to the rights of the bonds.
- k) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- l) The nomination can be varied by registering a fresh nomination.
- m) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- n) The redemption is due on expiry of seven years from the date of investment.
- o) Premature redemption facility has been allowed with certain conditions.
- p) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of acquaintance.
- q) To avoid delay in receipt of interest / redemption proceeds applicants may indicate his choice, for availing of half yearly interest / redemption proceeds through ECS/NEFT/RTGS or direct credit to the bank account.
- r) Investors are entitled for compensation for delayed payments at the rate decided by RBI vide their circulars issued from time to time.

In case the issuing bank does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in the form provided at the counter of the bank and address the same to the nearest office of Reserve Bank of India, as under:

THE REGIONAL DIRECTOR,  
RESERVE BANK OF INDIA,  
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT/  
BANKING OMBUDSMAN  
(LOCATION)  
-----

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

THE CHIEF GENERAL MANAGER  
RESERVE BANK OF INDIA  
INTERNAL DEBT MANAGEMENT DEPARTMENT  
CENTRAL OFFICE  
SBS MARG, FORT  
MUMBAI- 400 001

Disclaimer: -I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors. The agent/bank has explained the features of the scheme to me.

Signature of the applicant/s

----- TEAR AWAY HERE -----

**Acknowledgement of Application Form**

Application No.

Bank branch.....Date ...../...../.....

Received ..... from

Mr/Mrs/Ms.....Cash/Draft/Pay

Order/Cheque No/electronic credit ..... dated ...../...../.....drawn

on ..... (Bank ..... and ..... branch)

..... for

₹.....(Rupees..... only) for the purchase of 7.75 %

Savings (Taxable) Bonds, 2018 for a period of 7 years, interest payable on cumulative[ ]/payable on Non-cumulative [ ]

basis of the nominal value of ₹..... (Rupees .....)

.....only).

Date, Bank Stamp & Signature of the  
authorized official of the Bank.